राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थी का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	उपस्थित अभिभाषकगण का नाम
1.	6105/2022 (1051/2022) स्नेहाशीष	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, सांख्यिकी विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. संयुक्त निदेशक (प्रशासन), आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, योजना भवन, जयपुर। 3. विजय पाल, कनिष्ठ सहायक स्थानान्तरणाधीन ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, पाटन, सीकर से ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, देवगढ, जिला राजसमन्द।	श्री संदीप कलवानिया, अपीलार्थी की ओर से श्री संजय खेदड, निजी प्रत्यर्थी सं. 3 की ओर से
2.	187/2023 विजय पाल	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, साख्यिकी विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. संयुक्त निदेशक (प्रशासन), आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, योजना भवन, जयपुर। 3. सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, सीकर। 4. स्नेहाशीष, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, धोद, सीकर।	श्री संजय खेदड, अपीलार्थी की ओर से श्री संदीप कलवानिया, निजी प्रत्यर्थी सं. 4 की ओर से

आदेश की दिनांक : 08.02.2023

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. उपर्युक्त दोनों अपीलें पारस्परिक सम्बन्धित होने एवं विधि का समान प्रश्न निहित होने के आधार पर हम उक्त दोनों अपीलों का निस्तारण इस एकल आदेश के द्वारा करना न्यायहित में उचित समझते हैं।

2. अपील अपील संख्या–6105/2022 (1051/2022) में अपीलार्थी स्नेहाशीष ने स्थानान्तरण आदेश दिनांक 31.10.2022 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दी है। अपीलार्थी जो कि कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत है, उसका स्थानान्तरण कार्यालय ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी धोद सीकर से ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, अलसीसर झुन्झुनू में किया गया है। इसी आदेश के द्वारा निजी प्रत्यर्थी का स्थानान्तरण अपीलार्थी के स्थान पर किया गया है।

3. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि निजी प्रत्यर्थी का पूर्व में आदेश दिनांक 02.08.2022 के द्वारा स्थानान्तरण ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, पाटन सीकर से ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, देवगढ राजसमन्द किया गया था। उक्त आदेश की पालना में निजी प्रत्यर्थी ने कार्य ग्रहण नहीं किया।

बाद में अन्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 23.08.2022 के जरिये निजी प्रत्यर्थी का स्थानान्तरण कार्यालय ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, देवगढ राजसमन्द (स्थानान्तरणाधीन) से ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, सरदारशहर चूरू में किया गया। निजी प्रत्यर्थी ने सरदारशहर चूरू में भी कार्यभार ग्रहण नहीं किया और अब निजी प्रत्यर्थी को अनुचित लाभ देने की दृष्टि से एवं पुनः सीकर जिले में रखने की गरज से उसका स्थानान्तरण अपीलार्थी के स्थान पर सीकर में कर दिया गया है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण अन्यत्र स्थान पर किया गया है।

4. उनका तर्क है कि निजी प्रत्यर्थी को समंजित करने की दृष्टि से उसका बार–बार स्थानान्तरण किया गया है और निजी प्रत्यर्थी को मनपंसद स्थान पर लाने के लिये अपीलार्थी को स्थानान्तरित किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस अपील में अपीलार्थी के पक्ष में स्थगन आदेश दिनांक 22.11.2022 पारित कर स्थानान्तरण आदेश दिनांक 31.10.2022 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 02.11.2022 की क्रियान्विति अपीलार्थी के पदस्थापन के सम्बन्ध में आगामी आदेश तक स्थगित किये जाने के आदेश पारित किये गये और अपीलार्थी को वहीं कार्यरत रखे जाने के आदेश दिये गये थे, जहां वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था। इसके अलावा प्रत्यर्थीगण को नोटिस भी जारी किये गये है।

5. निजी प्रत्यर्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत कर विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपीलार्थी वर्तमान स्थान पर चार साल से पदस्थापित है। ऐसे में वर्तमान स्थानान्तरण आदेश राज्य सरकार ने अपनी स्थानान्तरण नीति के तहत जारी किया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि निजी प्रत्यर्थी को पूर्व में सरदारशहर, चुरू स्थानान्तरित किया गया था, जहां पर उसने दिनांक 26.08.2022 को कार्य ग्रहण कर लिया। ऐसे में अपीलार्थी ने यह गलत कथन किया है कि निजी प्रत्यर्थी ने सरदारशहर, चुरू में कार्य ग्रहण नहीं किया है।

6. अपील संख्या–187/2023 में अपीलार्थी विजय पाल ने आदेश दिनांक 06.01.2023 को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपील संख्या 6105/2022 (1051/2022) में पारित स्थगन आदेश के पश्चात प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 06.01.2023 जारी कर निजी प्रत्यर्थी स्नेहाशीष, कनिष्ठ सहायक का कार्यालय ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, धोद सीकर में पदस्थापन रखते हुए

अपीलार्थी विजय पाल कनिष्ठ सहायक को कार्यालय ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी सरदारशहर चूरू में स्थानान्तरित कर पदस्थापित किया है।

7. हमनें विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

8. अपीलार्थी स्नेहाशीष द्वारा प्रस्तुत अपील 6105/2022 (1051/2022) में उन्होंने यह तथ्य अंकित किये है कि निजी प्रत्यर्थी का स्थानान्तरण आदेश दिनांक 23.08.2022 के द्वारा किया गया था, जहां पर उसने कार्यभार ग्रहण नहीं किया। उक्त तथ्य गलत प्रकट होता है, क्योंकि आदेश दिनांक 23.08.2022 के द्वारा निजी प्रत्यर्थी का स्थानान्तरण जो राजसमन्द से सरदारशहर, चूरू में किया गया है, उसकी पालना में निजी प्रत्यर्थी ने सरदारशहर, चूरू में कार्यभार ग्रहण कर लिया था, जिसके सम्बन्ध में आदेश दिनांक 26.08.2022 (अनुलग्नक–आर/3) प्रस्तुत किया गया है। अतः निजी प्रत्यर्थी ने सरदारशहर चूरू में कार्यभार ग्रहण कर लिया था, उसके पश्चात् वर्तमान में उसका स्थानान्तरण किया गया है। अपीलार्थी स्नेहाशीष वर्तमान पद पर दिनांक 05.08.2018 से कार्यरत है। ऐसे में अपीलार्थी स्नेहाशीष का स्थानान्तरण वर्तमान पद पर काफी समय तक रखने के पश्चात किया गया है, जो प्रशासनिक आवश्यकताओं के दृष्टिगत किया गया है।

9. सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

इसी प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समंजन (accommodate) के सन्दर्भ में यह भी अवधारित किया है कि :–

"If the competent authority issued transfer orders with a view to accommodate a public servant to avoid hardship, the same cannot and should not be interfered by the Court merely because the transfer order were passed on the request of the employee concerned."

10. उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत को दृष्टि में रखते हुए एवं इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण उचित समय पश्चात प्रशासनिक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। हम स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

11. परिणामस्वरूप अपील संख्या 6105/2022 (1051/2022) में अधिकरण द्वारा पारित अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 22.11.2022 को निरस्त किया जाकर अपीलार्थी की उक्त अपील को एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।

12. अपील संख्या 187/2023 के अपीलार्थी विजय पाल ने आदेश दिनांक 06.01.2023 एवं 09.01.2023 को चुनौती दी है। उक्त अपील संख्या 187/2023 में दिनांक 13.01.2023 को अधिकरण द्वारा अंतरिम स्थगन आदेश पारित किया गया एवं आलोच्य आदेश को स्थगित कर दिया गया है। चूंकि उक्त आलोच्य आदेश दिनांक 06.01.2023 एवं 09.01.2023 अन्य अपील संख्या 6105/2022 (1051/2022) में पारित स्थगन आदेश के कारण जारी किया गया था। अपील संख्या 6105/2022 (1051/2022) को मय स्थगन आदेश खारिज किया जा चुका है। ऐसे में अपील संख्या–187/2023 स्वीकार की जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 06.01.2023 एवं 09.01.2023 को एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है।

13. मूल आदेश अपील संख्या– 6105/2022 (1051/2022) में एवं छाया प्रति अपील संख्या–187/2023 में संलग्न की जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)